भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Dm (I/c) requested to approve tender Draft
(signature) Mgr (E)

भारतीय जीवन बीमा निगम , मंडल कार्यालय, अजमेर हेतु केंटीन चलाने हेतु टेंडर नोटिस एवं टेंडर से संबंधित नियम एवं शर्ते

भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय अजमेर में पधारे पालिसी धारक/आगन्तुक/अधिकारी/ कर्मचारियों के लिए चाय–काफी /जलपान/ भोजन इत्यिादि उपलबध कराने के लिए अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों से मंडल कार्यालय अजमेर परिसर में केंटीन चलाने हेतु द्वि पद्वति (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) आधार पर निविदाएँ आंमत्रित करता है।

निविदा हेतु जारी निविदा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय अजमेर कार्यालय सेवा विभाग से अथवा निगम की अधिकृत वेबसाइट www.licindia.in पर टेंडर में लिंक करके डाउन लोड करके प्राप्त किये जा सकते है। उक्त निविदा हेतु निम्नानुसार आवेदन करे :–

लिफाफा नं. 1 :– सील बंद लिफाफा जिसमें कि टेक्निकल बिड का पूर्णतया भरा हुआ फार्म, फर्म की सील एवं निविदाकर्ता के हस्ताक्षर सहित तथा इसमें चाहे गये सभी आवश्यक प्रपत्र यथा FSSAI लाईसेन्स, व अन्य सर्टीफिकट स्व हस्ताक्षर सहित , टेंडर नोटिस एवं टेंडर से संबंधित नियम एवं शर्ते वाले प्रपत्र निर्धारित स्थार पर फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित, निविदा राशि एवं ईएमडी राशि हेतु ड्राफ्ट अथवा नकद जमा की रसीद,

लिफाफा नं. 2 :– सील बंद लिफाफा जिसमें केवल फाइनेनशियल बिड हो।

लिफाफा नं. 3 :– उपरोक्त दोनों सील बंद लिफाफो को इस तीसरे बडे लिफाफे में डाले व इस पर " मंडल कार्याल **अजमेर के केंटीन टेंडर हेतु आवेदन " लिखे व आवेदक फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं. लिखे**

यह आवेदन निम्न पते पर दिनांक 28.10.2024 को सायं 05.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिये। टेक्नीकल बिड दिनांक 29.10.2024 को प्रातः 11 बजे मंडल कार्यालय, अजमेर में खोली जायेगी तथा योग्य निविदाकर्ताओं का साक्षात्कार एवं फाइनेनशियल बिड खोलने की तिथि से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष, भंडारण समिति
भारतीय जीवन बीमा निगम,
मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश, रानाडे मार्ग, अलवर गेट, अजमेर।
उक्त निविदा से संबंधित नियम एवं शर्ते अग्रांकित है :–
अजमेर।
दिनांक : 01.10.2024

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

मंडल प्रबंधक (प्रभारी)

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नियम व शर्ते

निविदा फार्म मय निविदा फीस GST सहित राशि रूपयें 590.00 (रु.पांच सौ नब्बे मात्र) भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, अलवर गेट, रानाडे मार्ग, अजमेर में दिनांक 28.10.2024 **तक** अपरान्ह 4.00 बजे तक केश काउंटर पर जमा करवा सकते है। अथवा उक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर के पक्ष में अजमेर पर देय जमा करायी जा सकती है। निविदा राशि GST सहित रूपयें **590.00 वापस नहीं लोटायी जायेगी। निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 28-10-2024** सांय 05 बजे तक है। EMD के स्थान पर बिड सिक्योरिटी डिकलेरेशन (Ref;CO/OS//B//EMD/2020-21) **ऐनेक्जर- 1_** के अनुसार देना अनिवार्य है| बिड सिक्योरिटी डिकलेरेशन का प्रारूप संलग्न है ।

1. यदि निविदाकर्ता द्वारा निगम के निविदा को अंतिम रूप देने से पहले ही निविदा प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है तो ईएमडी राशि रूपयें 21000.00 (ईक्कीस हजार) को जब्त कर लिया जाएगा। **निविदा फार्म के साथ प्राप्त ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा** तथा जिनका टेण्डर स्वीकृत नहीं होता है उन सभी निविदाकर्ताओं को **ईएमडी** राशि **रूपयें 21000.00 लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है।**
2. टेंडर प्राप्ति में डाक की देरी / प्राप्त न होने के लिए LIC OF INDIA किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एकमुश्त रूप से खारिज कर दिया जाएगा यदि आवेदक
   - A. अपनी शर्तों या किसी भी वैकल्पिक / सशर्त प्रस्तावों को निर्धारित करता है ।
   - B. प्रस्तुत अपूर्ण निविदा आवेदन ।
   - C. आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि एवमं ईएमडी की राशी का ड्राफ्ट अथवा नकद जमा रसीद संलग्न नहीं करता है।
   - D. सभी नियमों और शर्तों से सहमत नहीं है।
   - E. निविदा से कोई भी पेपर अलग नहीं किया जाएगा।
   - F. इस तरह के व्यवसाय के लिए लागू सभी कानूनों और अधिनियमों का पालन नहीं करता है।
   - G. तकनीकी बिड में संदर्भित दस्तावेजों की अनुपलब्धता और प्रासंगिक जानकारी का गैर प्रकटीकरण या गलत जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ए निविदा फॉर्म के सभी पृष्ठों (तकनीकी और वित्तीय निविदा) पर फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नही किए जाने पर
4. **केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी तथा_एक से अधिक एल -1 बोलीदाता/निविदाकर्ता के मामले में अनुबंध के आवंटन का निर्णय निविदा कर्ता फर्मो के अनुभव विश्वसनीयता और अन्य मानदंडों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन किया जाएगा।**

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

5. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह निविदा प्रस्तुत करने से पहले उन सुविधाओं, परिसरों आदि का निरीक्षण करे जहाँ सेवाए प्रदत की जानी है । निगम द्वारा उपलब्ध स्थान, फर्नीचर और fixtures`बिजली, पानी इत्यादि सूविधायें जो कि निगम द्वारा निशुल्क प्रदान की जा रही है को ध्यान में रखते हुये निविदा में निविदा दरे भरी जानी चाहिये ।

6.ठेकेदार के लिये कैंटीन परिसर काम के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी । उन्हें नामित अधिकारी/ सुरक्षा प्रहरी से कैंटीन परिसर की चाबी प्राप्त करनी होगी । चाबी केवल प्रातः 7 बजे उन्हें सौंप दी जाएगी और परिसर केवल सायं:7 बजे तक उनके अधिकार में रहेगा। ठेकेदार व कैंटीन कर्मियों के लिए कैंटीन परिसर व मंडल परिसर मे कोई ठहरने / आवास / रहने की व्यवस्था नहीं की गई है और उन्हें शाम 7 बजे से पहले सफाई और ताला लगाने के बाद परिसर की चाबी सौंपना सुनिश्चित करना होगा । इस बीच अगर कैंटीन हॉल की निगम को आवश्कता हो तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से निगम द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा तथा ठेकेदार को इस सम्बंध मे आपत्ति नही होगी । सामान्यतः केंटीन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुली रखनी होगी तथा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि केंटीन द्वारा उपलबध करायी जाने वाली सभी सामग्रीयॉ इस दौरान उपलब्ध रहें। निगम के सक्षम अधिकारी को समय में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. इच्छुक फर्म/एजेंसी जो पहले से हमारे पैनल पर है उन्हे भी इस टैंडर के लिये अलग से आवेदन करना है ।
6. कैंटीन संचालन व्यवसाय हेतु आवश्यक सभी लाइसेंस और अनुमति की ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्चों पर व्यवस्था करनी होगी है तथा उक्त लाइसेंस और अनुमति पत्र की प्रतिलिपी निगम को जमा करानी होगी । कैंटीन ठेकेदार राज्य / केंद्र सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर लगाए गए करों, दंडो और अन्य सभी कर्तव्यों/ दायित्वों का भुगतान/ पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा । निगम का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
7. **ठेकेदार किसी उप-ठेकेदार की सेवाओं को संलग्न नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा।** यदि यह किसी भी समय पाया जाता है कि ठेकेदार कैंटीन सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है और उसने किसी अन्य पार्टी को अनुबंधित किया है, तो निगम को अनुबंध समाप्त करने और सभी सुरक्षा जमाओं को जब्त करने का अधिकार है। ठेकेदार को जिस उद्देश्य के लिये कैंटीन परिसर प्रदान किया गया है उसे छोड़कर किसी अन्य गतिविधि के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

8. कैंटीन ठेकेदार को निगम द्वारा कैंटीन सम्बंधी कार्य हेतु आयोजित मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जब भी उसे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यह मीटिंग मुख्य रूप से परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा / गुणवत्ता पर एक आकस्मिक/Random जांच और अनुशासन और अन्य कोई कारण की वजह से हो सकती है। यदि कैंटीन ठेकेदार द्वारा प्रदत्त खादय एवं पेय पदार्थ की मात्रा / गुणवत्ता किसी भी समय असंतोषजनक व निविदा की शर्तों के अनुरुप नहीं पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी बिना किसी सूचना के अनुबंध की तत्काल समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने का हकदार है ।
9. **सफल टेंडरर को** "LIC OF INDIA" के पक्ष में अजमेर पर देय **के पक्ष में रिफंडेबल के रूप में केवल** 21000 . **रुपये (केवल ईक्कीस हजार) के लिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रस्तुत करना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सिक्योरिटी डिपॉजिट को अनुबंध के सफल समापन के बाद और यदि कोई हो**ए **तो बकाया राशि का समायोजन करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।**
10. संविदा की अवधि **दो** वर्ष के लिए होगी, किंतु सेवाएँ संतोषप्रद नहीं होने पर मंडल प्रबंधक (**प्रभारी**) महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय अजमेर को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर संविदा को निरस्त कर सकते है। साथ ही सेवाएँ संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से पुरानी शर्तो पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन किये जाने पर संविदा अवधि को आगामी वर्ष **के लिये** आगे भी बढाया जा सकता है।
11. ठेकेदार द्वारा समय पूर्व अनुबन्ध/करार की समाप्ति हेतु ठेकेदार को कम से कम दो माह पूर्व सूचित करना होगा साथ ही सक्षम अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित की गई समिति की अनुशंसा के आधार पर अस्थाई तौर पर आगामी व्यवस्था तक के लिये अनुबंध को जारी रखा जा सकेगा।
12. कर्मचारियों द्वारा आर्डर देने पर सामग्री उनके बैठने के स्थान पर पहुंचानी होगी । ठेकेदार के किसी भी ग्राहक / यानी निगम के कर्मचारियों/पॉलिसीधारको/ या अन्य किसी भी व्यक्ति के बिल या बकाया के भुगतान की वसूली की रिकवरी के लिये निगम की कोई जिम्मेदारी नही है । भारतीय जीवन बीमा निगम किसी भी दिन किसी भी न्यूनतम विक्रय आदेश की गारंटी नहीं देता है।
13. ठेकेदार को कर्ज, देनदारी, पुलिस कार्यवाही तथा न्यायिक कार्यवाही से मुक्त होना चाहिये।
14. सामग्री के प्रस्तावित मूल्यो में कम से कम एक वर्ष से पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। किसी भी तरह का परिवर्तन सक्षम अधिकारी या उनके द्वारा गठित समिति की आपसी सहमति के द्वारा ही सम्भव होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

15. केंटीन की खाद्य एव पेय सामग्री का विक्रय, कार्यालय के कर्मचारियों तथा कार्यालय में बीमा संबंधी कार्य के लिए पधारे व्यक्तियों के लिए होगा। केंटीन में जलपान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जायेगी, इस बात को केंटीन ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा। अन्य व्यक्तियों के लिए केंटीन में प्रवेश निषेध होगा।

16. त्यौहार पर बनने वाली खाद्य सामग्री की दरे व केंटीन की समय अवधि सक्षम अधिकारी /कमेटी द्वारा तय की जायेगी।

17. समझौते की अवधि के दौरान ठेकेदार समस्त कैंटीन व्यवस्था के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। केंटीन ठेकेदार खाद्य सामग्री, सब्जी, किराने का सामान और खानपान प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामानो का हमेशा उसके पास पर्याप्त स्टॉक रखेगा। सभी खाद्य सामग्री को स्वच्छ कंटेनरों ढकी हुई अवस्था में इस तरह संग्रहित किया जाना चाहिए की खराब न हो व कीड़े मकोड़ो , चीटीयों, कॉकरोच, चूहो आदि की पहूच से दूर हो। स्वच्छ पानी / एक्वा गार्ड के पानी को साफ़ ग्लास/जग में पीने के लिये उपलब्ध रखा जायेगा।

18. कैंटीन में उपलब्ध उपकरण/ फर्नीचर/ फिक्स्चर और बुनियादी ढांचे का उपयोग कैंटीन सेवाओं के लिए किया जाएगा तथा ठेकेदार अपने कार्यकाल के दौरान उपरोक्त की मरम्मत के साथ-साथ अच्छी कामकाजी स्थिति व साफ रखरखाव को सुनिश्चित करेगा। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कोई भी कमी होने पर क्षतीपूर्ती हेतु अर्थदंड लगाया जा सकता है।

19. अनुबंध की समाप्ति पर ठेकेदार, कैंटीन फर्नीचर / फिक्स्चर / उपकरण आदि के साथ-साथ निगम की अन्य वस्तुओं को सूचारु/ सही स्थिति में लोटाना होगा।

20. कप,प्लेट, ग्लास,थरमस,कैतली बर्तन, तश्तरी फ्लास्क, क्रॉकरी इत्यादि पूर्णतया स्वच्छ व अच्छी गुणवत्ता (हाईजेनिक)व टूटफूट से रहित होने चाहियें व इनकी स्वच्छता/ सफाई के लिये इन्हे अच्छे वाशिंग पाउडर / साबुन / तरल के साथ साफ किया जाना चाहिए और साथ ही जमी हुई गंदगी, ग्रीस, दाग,तेल आदि को हटाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। । कैंटीन स्टोर, किचन एरिया, डाइनिंग हॉल, वाशिंग एरिया, वॉश बेसिन और आस-पास के क्षेत्र को पूर्ण साफ-सफाई वाली साफ-सुथरी सामग्री का इस्तेमाल करके चौबीसों घंटे साफ-सुथरा बनाए रखना चाहिए।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

21. कैंटीन कार्य हेतु काम में लिये जा रहे स्वयं के गैस बर्नर स्टोव/ गैस लाइन /रबर ट्यूब आदि का सही हालत में रखरखाव व उनकी नियमित सर्विसिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी । स्वयं द्वारा उपलब्ध फ्लाई कैचर को उपयुक्त जगह में स्थापित और हमेशा चालू स्थति में रखना होगा । कैंटीन में कॉकरोच , चूहों, कीडे, मख्खी, मकोडो, सांप, कीट, पक्षी, बिल्ली ,कुत्ते आदि से मुक्त रखना कैंटीन ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी । आंतरिक दीवारों, फर्श, खिड़कियां , छत, लकड़ी फर्नीचर को धूल और जालो से ठेकेदार द्वारा मुक्त रखा जाना चाहिए। कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए और न ही इसे फर्श पर जमा होने देना चाहिए। साफ सफाई में कोई भी कमी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित अर्थदंड लगाया जा सकता है ।
22. ठेकेदार या उनके स्टाफ़ द्वारा पर्यावरणीय खतरों को पैदा किए बिना रसोई के कचरे व बचे हुए खाद्य पदार्थों का निष्पादन नगर निगम के प्रावधानो व नियमों व उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंयं के खर्चें पर करना अनिवार्य होगा । जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कचरा निपटान करने में विफलता व फैलाई गयी गंदगी पर सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित अर्थदंड लगाया जा सकता है ।
23. किसी भी खाद्य विषाक्तता के मामले में ठेकेदार सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा तथा ठेकेदार सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने / सजा सहित सभी चिकित्सा व्यय, मुआवजा और कानूनी खर्च वहन करेगा । निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा भी जुर्माना लगाने सहित गंभीर और कठोर कार्रवाई की जाएगी ।
24. सक्षम अधिकारी या उनके अधिकृत समिती सद्स्यों द्वारा समय समय पर कैंटीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, परीक्षण व स्वाद लिया जा सकेगा । यदि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट ब्रांड वस्तुओं के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता में कोई भिन्नता है, तो सक्षम अधिकारी या समिति द्वारा उपयुक्त दंड लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन होने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा ।
25. ठेकेदार संबंधित राज्य निकाय के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करेगा और पंजीकरण संख्या का विवरण प्रस्तुत करेगा। वह राज्य के श्रम और भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) के नियमों और विनियमों और अन्य सभी वैधानिक कृत्यों और विनियमों और नियमों का पालन करेगा, व नियमानुसार इस सम्बंध में किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा की गई दंडात्मक कार्यवाही को वहन करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा जिसमे कार्यपालक मुआवजा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा आदि शामिल हैं। सभी संबंधित कानूनोंए नियमों और विनियमों और समय-समय पर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अन्य प्रासंगिक निर्देशों के साथ अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार की एक मात्र जिम्मेदारी है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

28. निगम कार्यालय नो स्मोकिंग ज़ोन है । ठेकेदार या अपने कर्मचारियों द्वारा पान मसाला , गुटका धूम्रपान,मादक पेय(शराब इत्यादि) की खपत/बिक्री करना व किसी भी अनैतिक गतिविधियों में भोग करना/शामिल होना सख्त वर्जित है निगम कैंटीन से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति / कामगार को एलआईसी कैंपस में प्रवेश से इंकार कर सकती है या बेदखल करने का आदेश दे सकती है यदि कैंटीन से संबंधित किसी व्यक्ति / कामगार निम्न श्रेणी में आता है: - i) आपराधिक प्रवति कर्मचारी है या संदिग्ध है और या ii) कथित तौर पर उनके द्वारा अभद्रता की गई है। एलआईसी के हितों के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियाँ और या iii) किसी संक्रामक या संचारी रोगों से पीड़ित होने के लिए संदिग्ध है। **ठेकेदार द्वारा यह घोषणा देनी होगी कि उसके द्वारा नियुक्त कोई भी कर्मचारी व वह स्वंय आपराधिक गतिविधियों में लिप्त/संदिग्ध या इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।**

32. ठेकेदार छमाही आधार पर एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भोजन को संभालने व सर्व करने वाले उसके सभी कर्मचारियों को कोई संक्रामक रोग नहीं है।
33. ठेकेदार खाद्य और पेय के लेखों की दरों, वजन गुणवत्ता मात्रा आदि में कोई फेरबदल नहीं करेगा, जो कैंटीन परिसर में बिक्री के लिए निविदा दस्तावेज के अनुसार कैंटीन में रखी गई है । निगम की पूर्व अनुमति के अलावा स्टाफ कैंटीन में यदि ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री करना चाहता है, तो ठेकेदार निविदा दस्तावेज में उल्लिखित वस्तुओं के क्रम को बदले बिना निगम की लिखित स्वीकृति के लिए एक अतिरिक्त सूची निगम को प्रष्तुत कर सकता है और भोजन और पेय पदार्थो की अंतिम रूप से दरों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के बाद ही विक्रय किये जा सकगें ।
34. निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर, फिक्स्चर (fixtures) , उपकरण, आदि की सूची प्रतिवर्ष या निगम द्वारा मांगे जाने पर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवानी होगी ।
35. सुरक्षा कारणों से, कैंटीन ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची प्रदान करेगा। ऐसी सूची में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के नाम, आयु, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, शैक्षिक योग्यता, पदनाम, पता , टेलीफोन नंबर और स्वास्थ्य रिकॉर्ड ; KYC के साथ के विवरण शामिल होंगे। । ठेकेदार कर्मचारियों को नियुक्ति और हटाने की तुरंत सूचना निगम को देगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील सहित

36. कैंटीन परिसर से कर्मचारी कैंटीन चलाने के लिए ठेकेदार की सहायता के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में, ठेकेदार बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेगा ।

37. No legal right shall vest in the Contract 's workers to claim employment of otherwise absorption in LIC of India, nor the contractor's workers shall have any right whatsoever to claim the benefit and / or emoluments that may be permissiable or paid to the employee of LIC of india. The workers will remain the employees of the contractor and this should be the sole responsibility of the contractor to make it clear to his/her workers before deputing them to work in Canteen of LIC of India.

38. चयनित ठेकेदार जिसे कैंटीन का अंतिम अनुबंध दिया जायेगा , कानून के अधीन सेवा अनुबंध में प्रवेश करेगा । निगम के साथ सेवा समझौते में प्रवेश करने वाली ठेकेदार/एजेंसी द्वारा स्टांप ड्यूटी निष्पादन लागत आदि वहन किया जाएगा । **चयनित ठेकेदार जिसे कैंटीन का अंतिम अनुबंध दिया जायेगा किसी भी परिस्थिति में अपने अनुबंध को किसी दूसरे व्यक्ति / फर्म को पूरा या आंशिक Sublet नहीं करेगा** । अगर यह पाया जाता है तो अनुबंध तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा साथ ही सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

39. ठेकेदार भोजन और शीतल पेय व अन्य स्वीकृत खाद्य पदार्थो के मूल्य / दर सूची को प्रदर्शित करेगा । इसके अलावा ठेकेदार निगम द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य आईटम की कीमत / दर की सूची को भी ऐसे विशिष्ट स्थान पर बोल्ड अक्षरों में प्रदर्शित करेगा । कोई भी समाप्ति तिथि (Expiry date) उत्पाद एलआईसी कैंटीन में बिक्री के लिये उप्लब्ध नही करवाया जायेगा निगम इसकी अनुमति नहीं देता है । ऐसा पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

40. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा परिसर, संपत्तियों और सामानों को नुकसान या क्षति पहूचाये जाने पर चाहे वह इसमें जान बूझकर लिप्त हो या लापरवाही/ गलत या संदिग्ध आचरण के कारण या अन्य कारण से हो के लिए निगम को क्षतिपूर्ति करेगा ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील सहित

41. अनुबंध की समाप्ति पर जो भी कारण हो, तुरंत एक अच्छी और कामकाजी स्थिति में ठेकेदार शांतिपूर्ण ढंग से परिसर को खाली कर देगा और एलआईसी को सभी उपकरणों फर्नीचर फिक्स्चर आदि को निगम को सौंप देगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सुरक्षा जमा (Security Deposit) को दंडात्मक (;further penal action) कार्रवाई के तहत जब्त कर लिया जायेगा या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिये निगम स्वतंत्र होगा । अनुबंध की समाप्ति पर ठेकेदार को सम्पूर्ण परीसर नियत तिथी पर निगम को सौपना होगा । ठेकेदार द्वारा स्टोर और प्रभावों को हटाने में विफलता के मामले में निगम को प्रवेश करने और कैंटीन या किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार है जो ठेकेदार को दिया गया था ।

42. इस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मंडल प्रबंधक प्रभारी / सक्षम अधिकारी, एलआईसी, अजमेर डिवीजन, या तो मौखिक रूप से या ठेकेदार को लिखित रूप से निर्देश जारी करने के हकदार है और इस तरह के निर्देशों को अनुबंध का एक हिस्सा माना जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। इस समझौते से संबंधित या आकस्मिक सभी मामलों में यदि कोई संदेह या विवाद या असहमति उत्पन्न होती है, तो मंडल प्रबंधक प्रभारी, एलआईसी, अजमेर डिवीजन का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

43. इस निविदा से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद को अजमेर में उत्पन्न किया जाना माना जाएगा और अजमेर में किसी सक्षम न्यायालय के अधिनिर्णय के अधीन होगा ।

44. खाद्य सामग्री के कच्चे माल,खाद्य पदार्थ , खाना पकाने के ईंधन / **कमर्शियल** गैस सिलेंडर, सफाई / कपड़े व् बर्तन धोने की सामग्री / उपकरण / क्रॉकरी और मैन पावर को ठेकेदार को स्वयं अपनी लागत पर व्यवस्थित करना होगा। केंटीन में फ्रीज/डीप फ्रीज ठेकेदार को अपना स्वंय का रखना होगा। **ठेकेदार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा** तथा इसका खर्च भी स्वंयं को वहन करना होगा । **गैस के अलावा ईधन के अन्य साधान जैसे लकड़ी / कोयले**/ विद्युत चालित हीटर/चूल्हे व अन्य उपकरण **का प्रयोग कैंटीन में सख्त वर्जित है |** सक्षम अधिकारी की पूर्व आदेश /अनुमति / शर्तो की स्वीकृति प्राप्त कर इंडक्शन कुक टोप काम में लिया जा सकता है अथवा काम में लिया जायेगा।

45. केंटीन में उपलब्ध कराये जाने वाली सभी खाद्य सामग्री की तैयारी स्टेण्डर्ड एवं तय शुदा खाद्य तेल मंगफली का/ शुद्व घी/ मसाले (एगमार्क/ FSSI/ISI मार्क) के प्रयोग में लिये जाने होंगे। कृत्रिम रंगों का उपयोग सख्त वर्जित है। यदि खाद्य अपमिश्रण पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के सभी नियमों को सही माना जाएगा व PFA एक्ट लागू होगा। केवल ताजा भोजन ही परोसा जाना है। बासी / प्रशीतित(पूराना/ठंडा) भोजन किसी भी स्थिति में नहीं परोसा जाना चाहिए।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील सहित

46. बाजार से लायी गयी सामग्री प्रिन्ट रेट (एमआरपी) से कम अधिकतम छूट के साथ विक्रय करनी होगी।

47. बिजली से संबंधित अन्य कोई उपकरण यथा हीटर इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे । तथा बिजली व पानी का उपयोग मितव्यता से **क**रना होगा ।

48. सुरक्षा संबंधी एवं समस्त मापदंण्डो का पूर्णतया पालन करना होगा। केंटीन संचालन में ठेकेदार के किसी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त/आकस्मिकता होने पर खर्चा/हर्जाना संबंधी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार **की** स्वयं की होगी।

49. केंटीन का औचक निरीक्षण कभी भी करने का अधिकार सक्षम अधिकारी/कमेटी अथवा उनके द्वारा गठित की गई समिति के पास होगा ।

50. केंटीन में उपलब्ध खाद्य सामग्री को ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर पूर्ति/विक्रय हेतु नहीं भेजी जायेगी।

51. कैंटीन चलाते समय ठेकेदार को सभी सुरक्षा उपाय (आग सहित) करना चाहिए। वह कैंटीन में काम करने के लिए तैनात व्यक्तियों व् कैंटीन में आगुन्तको के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखेगा।

52. सफल निविदा दाता फर्म / ठेकेदार को अनुबंध स्वीकृति होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ 500 रुपये के स्टांप पेपर स्वयं के खर्चे पर एक समझौता करना होगा।

53. इस निविदा से सम्बंधित नियमों एवं शर्तो एवं तिथियों को बदलने तथा सभी या किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, किसी भी उच्चतर बोली को स्वीकार करना या बिना कारण बताए सभी निविदाओं को रद्द/ निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है ।

54. निगम (LICI) या किसी भी PSU या किसी भी सरकारी विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड / डिबार किये जाने वाले पक्ष इस निविदा को प्रस्तुत करने के लिये पात्र नही है ।

55. मण्डल परिसर तथा परिसर में शाखाओं में लगभग 310 कर्मचारी कार्य्ररत है ।

56. कैंटीन के लिए मण्डल परिसर में अलग से समुचित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील सहित

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

EXPECTED COST OF TENDER

TO BE PREPAIRED ITEM IN CANTEEN

Sr. No.	ITEM	Quantity Conusme	Per Day	Expected Cost
1.	Tea	600	Per Day	
2	Green Tea	10	Per Day	
3.	Coffee	10	Per Day	
4.	Kachori/Samosa/Alu Bada	50	Per Day	
5.	Puri, Subji	10	Per Day	
6.	Lunch (Thali)	15	Per Day	
		Per day Cost	Total	

Base to decide L1 :->
Evaluation method will be @ of total gross value wise evlaution of above table.

उपरोक्त टेबल की ग्रास वेल्यू के आधार पर ही L1 निशचित किया जायेगा, तथा उपरोक्त टेबल दिखाई गई प्रति दिन की उपभोग (खान पान की सामग्री) केवल उदाहरण बतौर हैं, कम ज्यादा होने पर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म की सील सहित

मंडल प्रबंधक (प्रभारी)

घोषणा

उपरोक्त वर्णित सभी नियमों एवं शर्तो को बिना कोई अन्य शर्त लगाये, मैं/हम एतद द्वारा अपनी सहमती प्रदान करता/करते है। और मैं/हम इस बात से भी सहमत है कि अनुबंध निष्पादन में मुझसे/हमसे कोई भी कमी/त्रुटी रहती है तो पेनल्टी/वसूली बिना कोई पूर्व सूचना के की जा सकती है। यदि मैं/हम किसी भी कारण वश समय पूर्व अनुबंध समाप्त करते है या अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध में वर्णित नियमों/शर्तो की पालना में कमी/चूक रहती है तो निगम के पास हमारी पास जमा सिक्यूरिटी राशि रू. 21000/ को जब्त करने का अधिकार है।

मैं/हम निगम से अनुरोध करते है कि हमारा यह आवेदन "Tender for Canteen Service at LIC of India, DO Ajmer" स्वीकार करें। मैने/हमने इस निविदा की सभी शर्तो/निर्देशों/नियमों को पढ लिया व समझ लिया है, तथा इन सभी शर्तो व नियमों, निर्देशों का पालन करने हेतु पूर्णतया सहमत हूँ/है।

मैं/हम घोषणा करते है कि हमारी फर्म निविदा के लिए पात्रता मानदण्ड व आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा आश्वस्त करते हैं कि निगम को पूर्ण संतुष्ठि के लिए सेवाएँ प्रदान करेंगें। मेरी/हमारी फर्म को किसी भी संस्था/विभाग द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

दिनांक:

निविदाकर्ता / निविदकर्ताओ के हस्ताक्षर

नाम मय सील :

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

तकनीकी निविदा फार्म Annexure-A-1 दिनांक : ....

1. फर्म का नाम व पता (केवाइसी एवं एड्रेस प्रूफ सहित)	
2. फर्म का प्रकार	
3. फर्म की स्थापना तिथि	
4. मालिक का नाम	
5. मालिक के पिता का नाम	
6. नगर निगम द्वारा जारी किये गये कैंटीन व्यवसाय करने की अनुमति पत्र की प्रतिलिपी	
7. FSSAI लाईसेंस 2006 तथा अन्य प्रमाण पत्र जिससे उक्त व्यवसाय किये जाने की पुष्टि हो ।कापी संलग्न करें।	
8.बैंक का नाम ,पता,फर्म बैंक अकाउन्ट नं.,IFSC code,(कैंसिल चैक अथवा बैंक पास बुक की फोटोप्रति सलग्न करे)	
9.आयकर विभाग द्वारा जारी पैन न. की प्रतिलिपि तथा पिछले 02 वित्तीय वर्षो की आयकर रिर्टन की सत्यापित प्रतिलिपि भी सलंग्न करें।	
10.जी.एस.टी नं.नियमानुसार यदि आवश्यक हो (फोटो कापी नत्थी करें	
11. वर्तमान एवं पूर्वानुभव / अनुबंध की विस्तृत जानकारी अ. ग्राहक/क्लाइंट के नाम ब. ग्राहक/क्लाइंट के साथ कब से कार्य कर रहे है (कृपया संबधित प्रपत्र संलग्न करें ।	
12.किसी अन्य कार्यालय अथवा संस्था में सूचीबद्धता की विस्तृत जानकारी ।	
13. निविदा कर्ता के मोबाइल नम्बर	
14. निविदा कर्ता के ईमेल आइडी	
15. ईएमडी राशि व निविदा राशि रूपयें 21000 + 590 जमा कराने का विवरण ।	राशि रसीद संख्या दिनांक
संस्थापन्न / पाटनर्शिप डीड /मेमोरेंडम तथा संस्था नियमावली / अन्य कोई संबधित प्रपत्र जिसमें संस्थापन्न की विस्तृत जानकारी हो स्लगन करे ।	

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील व नाम सहित

तकनीकी निविदा फार्म **Annexure-A-2** दिनांक : ....

चैक लिस्ट

क्र.स.	विवरण	हां या नहीं लिखे	पेज न.
1.	क्या "तकनीकी निविदा फार्म एनेक्सचर ऐ 1 एवं निविदा नियम व शर्ते व फाईनेंसियल बिड के लिफ़ाफ़े अलग अलग रखे है व् उन लिफाफों पर "तकनीकी निविदा फार्म " व "फाईनेंसियल बिड हेतु फ़ार्म" लिखा है		
2.	क्या आपने टेंडर फीस रू. 590/ (रु.पांच सौ नब्बे मात्र) का डीमांड ड्राफ्ट या निगम के कैश काउंटर पर जमा रसीद तकनीकी निविदा फॉर्म के साथ सलग्न की है |		
3.	क्या आपने ईएमडी राशी रू 21000.00 (ईक्कीस हजार) का डीमांड ड्राफ्ट या निगम के कैश काउंटर पर जमा रसीद तकनीकी निविदा फॉर्म के साथ सलग्न किया है |		
4.	**क्या** नगर निगम द्वारा जारी किये गये केंटीन व्यवसाय करने की अनुमति पत्र की प्रतिलिपी तकनीकी निविदा **फॉर्म के साथ सलग्न की है |**		
5	क्या कैंटीन / मेस सर्विसेज चलाने के लिए वैध FSSAI प्रमाणपत्र तकनीकी निविदा फॉर्म के साथ सलग्न किया है |		
6	क्या अनुभव के प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा फॉर्म के साथ सलग्न किया है |		

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील व नाम सहित

7	क्या वैध पैन कार्ड की प्रति संलग्न है।		
8	क्या नवीनतम और पिछले 2 वर्षों की वैध आयकर रिटर्न की विधिवत सी ए से प्रमाणित कॉपी तकनीकी निविदा फॉर्म के साथ सलग्न किया है।		
9	क्या वर्क ऑर्डर को स्वीकार करने पर 5 दिनों के भीतर क्रॉकरी, बर्तन, कटलरी, आदि जो कि कैंटीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है की व्यवस्था करने के लिए सहमत और सक्षम हैं।		
10	कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या टेंडर एकमात्र मालिक / प्राईवेट लिमि./पार्टनरशिप फर्म है1 (इस मामले में भागीदार का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)। साझेदारी / कंपनी आदि का अलग से विवरण संलग्न करें।		
10	क्या ठेकेदार /फर्म / कंपनी / एजेंसी को कभी भी किसी भी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। ।		

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील व नाम सहित

मण्डल प्रबंधक (प्रभारी) ,

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निगम,
मण्डल कार्यालय, अजमेर्।

ऐनेक्जर- 1

बिड सिक्योरिटी डिकलेरेशन

हम ....(फर्म का नाम) संलग्न निविदा सं ... में जो दरें दी हैं उन्हीं दरों पर निविदा अवधि तक कार्य करने की गारन्टी देतें है यदि हम इन शर्तों व दरों से प्रत्याहृत करते है या कोई परिवर्तन करतें हैं तो हमे निविदा अवधि / / से / / के लिये बर्खास्त कर दिया जाए।

दिनांक: **हस्ताक्षर व फर्म की मोहर**

ऐनेक्जर- 2

केंटीन निविदा हेतु अतिरिक्त अनुच्छेद

मै मैसर्स .... एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में फैली कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति के मध्यनजर केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समय- समय पर जारी समस्त आदेशों की अक्षरक्ष: अनुपालना केंटीन संचालन में करुंगा ।

दिनांक: ....

हस्ताक्षर निविदा कर्ता ....

नाम : ....

पता: ....

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

फायनेशियल बिड Annexure-2

नाम	वजन	प्रस्तावित दर सभी करों एवम सेवाओ सहित
पेय		
चाय (चाय में दूध पानी की मात्रा 2:1)	**60 मिली (दूध की मात्रा 40ml)**	
कॉफी	**80 मिली (दूध की मात्रा 80ml)**	
ग्रीन टी (ब्रांडेड)	प्रति **टी बैग**	
ब्रांडेड बिस्कुट	प्रति पेकिट	
ब्रांडेड नमकीन	प्रति पेकिट	
छाछ (सरस/अमूल) 500 मिलीलिटर	**प्रति पैक / 500 मिलीलिटर**	
लस्सी दही (मीठी)	**200 मिली**	
कोल्ड ड्रिंक (Tetra pack)	**प्रति पैक / मिली**	
नमकीन व अन्य खाद्य सामग्री (ब्रांडेड मूंगफली के तेल की)		
मय कढी , चटनी	**शुद्ध वजन कढी , चटनी के अतिरिक्त**	
कचोरी	60 ग्राम	
कोफ्ता	80 ग्राम	
समोसा	80 ग्राम	
मिर्चीबडा	90 ग्राम	
लंच मे उपलब्ध रखने वाली खाद्य सामग्री		
पूडी-साग	8 पूडी(150 ग्राम, (गेहू के आटे की) सब्जी (150ग्राम) अचार	
थाली	एक सब्जी, दाल, चार चपाती (गेहू के आटे की), चावल बासमती, अचार (चावल नही लेने पर दो चपाती अलग से देनी होगी)	

***चाय व कॉफी में दूध सरस GOLD का प्रयोग, चाय के पत्ती कम से कम रु. 300.00तीन सौ प्रति किलो तथा चाय में मौसम के अनुसार अदरक ईलायची का प्रयोग, चाय व कॉफी कॉच के गिलास या चीनी मिटी के कप में दी जायेगी, नमकीन व अन्य खाद्य सामग्री (ब्रांडेड मूंगफली के तेल की बनाई जायेगी)**

हस्ताक्षर निविदाकर्ता, फर्म की सील व नाम सहित